

:: कार्यालय – आदेश ::

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, जयपुर के आदेशांक प-4(1) वित्त/साविलेनि/2006 दिनांक 24.12.2020 दिनांक 26.02.2021 द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 31.03.2020, 02.04.2020 एवं 05.04.2020 द्वारा कार्मिको माह मार्च देय अप्रैल 2020 के वेतन में से आंशिक राशि आस्थगित (Deferred) की गई थी । जिन कार्मिकों (सेवारत/सेवानिवृत्त) का माह मार्च 2020 का वेतन आस्थगित (Deferred) किया गया था तथा उन कार्मिकों को आस्थगित (Deferred) वेतन का भुगतान किये जाने की स्वीकृति उक्त आदेश दिनांक से जारी होने के पश्चात् इस विद्यालय/संस्था से निम्नांकित कार्मिकों (सेवारत/सेवानिवृत्त) का माह मार्च देय अप्रैल 2020 के वेतन में से आंशिक आस्थगित (Deferred) राशि का वेतन भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क.स.	नाम कार्मिक	पद	वेतन आस्थगित (Deferred) दिवस	मूल वेतन	सेवानिवृत्ति दिनांक	वि०वि०
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						

नोट – राजपत्रित/अधीनस्थ सेवा के लिए 16 दिवस एवं अन्य सेवा कार्मिक (लेवल 5 से लेवल 09 तक) के लिए 09 दिवस का वेतन सलंगन – सेवानिवृत्ति आदेश ।

हस्ताक्षर आहरण वितरण अधिकारी,
मय सील

क्रमांक/संस्था/2020/

दिनांक –

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

- 01- कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, ।
 02- लेखा शाखा – बिल बनाने हेतु ।
 03- संबंधित कार्मिक ।
 04- कार्यालय प्रति ।

हस्ताक्षर आहरण वितरण अधिकारी,
मय सील